<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>14.06.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद अंचल कार्यालय ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में मेसर्स रामकृष्ण इलेक्ट्रॉनिक्स, मेसर्स रामकृष्ण टेलिट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (आरटीपीएल) और अन्य के खिलाफ धन शोधन मामले में हैदराबाद, कुरनूल और गाजियाबाद में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने मेसर्स रामकृष्ण इलेक्ट्रॉनिक्स,मेसर्स रामकृष्ण टेलिट्रोनिक्स प्रा.लिमिटेड और इसके निदेशकों/साझेदारों अर्थात् वी.राघवेन्द्र, वी. रवि कुमार और अन्य द्वारा धोखाधड़ी से 101.48 करोड़ रुपये की ऋण निधियों की हेराफेरी और उसका आपराधिक रूप से दुर्विनियोजन करने हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दायर ऋण धोखाधड़ी की शिकायत पर उनके खिलाफ सीबीआई-बीएस और एफबी, बैंगलोर द्वारा पंजीकृत प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की| रामकृष्ण समूह व्यापार, सेल फोन के विपणन, विशेष रूप से सैमसंग / सोनी उत्पादों आदि के व्यवसाय में लगे हुए थे।

ईडी जांच से पता चला कि आरटीपीएल और रामकृष्ण इलेक्ट्रॉनिक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्ववर्ती आंध्र बैंक) से ओसीसी सीमा का लाभ ले रहे थे। यह भी पता चला कि आरईपीएल में भाई, वी राघवेंद्र और वी रवि कुमार, निदेशक इस समूह के प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने दूसरों के साथ साजिश रची और ऋण निधियों का दुरुपयोग किया और विभिन्न तौर-तरीकों जैसे प्रमोटरों / निदेशकों और उनके परिवार के सदस्यों के खातों में धन का विपथन,इंटर ग्रुप लेनदेन में प्रवेश करके, व्यापार बिक्री आय को पूरी तरह से ऋणदाता बैंक, के माध्यम से रूट न करके, संदिग्ध तीसरे पक्ष के लेनदेन आदि में प्रवेश करके, आदि को नियोजित करके इसकी हेराफेरी की |

तलाशी अभियान दौरान कई संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों, जिन पर संदेह है कि अपराध की आय से प्राप्त किया गया है,की बरामदगी और जब्ती की गई | इसके अलावा, निदेशकों/भागीदारों और उनकी संबद्ध संस्थाओं के बैंक खातों में लगभग 1.45 करोड़ रुपये की राशि भी जमे हुए थे जिन पर अपराध की आय होने का संदेह है। डिजिटल उपकरणों और अपराध संकेती दस्तावेजों को भी जो अन्य बातों के साथ-साथ, निदेशकों द्वारा किए गए विदेशी भुगतानों को इंगित करता है,जब्त किया गया |

आगे की जांच चल रही है।